पूर्वानुसार ...

27/6/22 पत्रावली पेश। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री मदन ज्याणी उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो चुका है एवं विवादित भूमि वर्तमान में किसी अन्य को बेचान कि जा चुकी है। इसलिए पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए वाद खारिज किया जावे। वादी की ओर से कोई उप० नहीं। वादी को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 01.4.22 को सम्मन प्रेषित किया जा चुका है, तामिल की Presumption मानते हुए वादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। दिनांक 19.12.19 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय होने के बाद एवं इस न्यायालय से सम्मन जारी होने के बावजूद कभी भी वादी के इस न्यायालय में उप० नहीं आने पर प्रकरण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

अभिभाषक (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना